न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 95/2021
CIS No. :– TS/95/2021
CNR No. :– BRWC22-000150-2021

इन्द्रासन राम बनाम् **कोदई यादव एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
14.12.2021	अभिलेख पेश हुयी। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र दिनांक– 13.12.2021 वादी द्वारा अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया है कि विवादित सम्पत्ति का निरीक्षण जरिये अधिवक्ता आयुक्त से किये जाने की याचना की गई है। वादी को ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 13.12.2021 पर वादी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया। प्रार्थनापत्र वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति का निरीक्षण जरिये अधिवक्ता आयुक्त द्वारा कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। विवादित सम्पत्ति की मौजूदा स्थिति एवं नक्शा यदि किसी स्वतंत्र माध्यम से न्यायालय के समक्ष आ जाती है तो ऐसे में वाद में निहित मुद्दों को अंतिम एवं वास्तविक रूप से निस्तारित करने में निश्चित ही सहायता मिलेगी। प्रार्थनापत्र दिनांक 13.12.2021 तदनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है। **आदेश** प्रार्थनापत्र दिनांक 13.12.2021 मात्र विवादित सम्पत्ति का निरीक्षण कर उसकी वस्तुस्थिति एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किए जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। वादी वास्ते कराये जाने निरीक्षण जरिये अधिवक्ता आयुक्त श्री अमिरूल हक, विद्वान अधिवक्ता को वादी के मु० 2500/– रू० खर्चे पर नियुक्त किया जाता है। कार्यालय संबंधित अधिवक्ता को रिट जारी करे। न्यायालय अधिवक्ता आयुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विवादित स्थल की वस्तुस्थिति के संबंध में पूर्ण आख्या एवं नजरी नक्शा अग्रिम नियत	

न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

<u>14.12.2021</u> **लगातार**	तिथि 07.01.2022 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी वास्ते कराये जाने निरीक्षण जरिये अधिवक्ता आयुक्त नियमानुसार पैरवी अन्दर 7 दिन में करना सुनिश्चित करे। अभिलेख प्रस्तुति अधिवक्ता आयुक्त आख्या/अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक—07.01.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज पश्चिम चम्पारण।	